

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 37/2019 आवंटन निरस्त

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. कैलाशचन्द्र पिता भवानीलाल लुहार निवासी
बिजौलियां
2. राजकुमार पिता भवानीलाल लुहार निवासी
बिजौलियां
3. निर्मल पिता भवानीलाल लुहार निवासी
बिजौलियां
4. इन्द्रा पुत्री भवानीलाल लुहार निवासी बिजौलियां
5. राधा पुत्री भवानीलाल लुहार निवासी बिजौलियां
6. टीना पुत्री भवानीलाल लुहार निवासी बिजौलियां
7. घीसीबाई बेवा भवानीलाल लुहार निवासी
बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा |
|---|-------------|---|

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं — एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक .2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रामरडा पटवार हल्का थडोदा की आ.न. 9/7 रकबा 3.02 बीघा भूमि किस्म बंजड दिनांक 20.12.1985 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी की मृत्यु होने पर आवंटनी के वारिसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम रामरडा पटवार हल्का थडोदाकी आ.न. 9/7 रकबा 3.02 बीघा भूमि किस्म बंजड दिनांक 20.12.1985 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर

खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। यह आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने भूमि आवंटन पत्रावली दिनांक 20.12.1985 की फोटो प्रमाणित प्रति संलग्न की एवं पटवार हल्का थडौदा ग्राम रामरडा का मौका पर्चा, ग्राम रामरडा की जमाबंदी संवत् 2072-2075 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट ग्राम रामरडा में अंकित किया है कि ग्राम रामरडा के आ. न. 9/7 रकबा 3.02 बीघा भूमि किस्म बंजड हैं। मौक पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर श्री भवानीलाल पिता देवी लुहार सा. देह के नाम आवंटित ग्राम रामरडा के आराजी नं. 9/7 रकबा 3.02 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 20.12.1985 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजोलियां को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रामरडा की आ.न. 9/7 रकबा 3.02 बीघा भूमि किस्म बंजड को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक .2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

